समयबद्व/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–6064/नौ–5–2013–154सा/2013

प्रेषक,

सी0 बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, सी.एण्ड.डी.एस., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांक 09 सितम्बर, 2013

विषयः–नगर विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 के पत्र संख्या–1533/52–3–2013–सा(30)/13, दिनांक 24.08.2013 द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। संदर्भित शासनादेश में प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश में नगर विकास विभाग द्वारा संचालित निम्नांकित विकास योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों हेतु लक्ष्यों का मात्राकरण किया जाना है–

कमांक	योजनायें/कार्यकम
1	शहरों क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना।
2	यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 (UIDSSMT) योजना।
3	नया सवेरा नगर विकास योजना।

2. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करते समय संदर्भित शासनादेश संख्या–1533/52–3–2013–सा(30)/13, दिनांक 24.08.2013 को संज्ञान में लेते हुए जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संदर्भित योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले अवस्थापना संबंधी भौतिक कार्यो से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय लाभान्वित हो रहा है। साथ ही साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से पाक्षिक सूचनायें निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संकलित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

/

(सी0 बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–6064(1)/नौ–5–2013–154सा/2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल/सूडा।
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

9/9/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या–6064/नौ–5–2013–154सा/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 का संलग्नक

प्रारूप

नगर विकास विभाग

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित परियोजना/योजना का नाम/कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावित कार्य से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या (कालम–5 के सापेक्ष)	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या	प्रतिशत (कालम 6 के सापेक्ष)	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11